

FORM No. III
 फर्द अहकाम
 (नियम 28)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)


राजेश कुमार साह बनाम पु. पु. पु. ज.
 एक्ट 136 मुकदमा नं. सन् 2023 जीसीएमएस नम्बर 26.A/2023

07/11/23

इस या कार्यवाही का इतिहास जज


नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए


प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री. जयदेव सिंह द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी/अप्रार्थीगण पेश किया गया। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी/अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955/राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सवारों की कमी होने के कारण अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के नोटिस की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाना चाहते हैं। चूंकि सवारों की कमी होने के कारण तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाना आवश्यक है। नोटिस की तलबी हेतु प्रार्थी के खर्च पर नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक वास्ते, प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावे। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/12/23 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 रायपुर (पाली)

नकोप/13

पत्रावली पेश हुई।
 प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
 कर्माधीन से 01 से 04 एवं अधिवक्ता उपस्थित।
 प्रार्थी अधिवक्ता एवं कर्माधीन एवं जे. अधिवक्ता
 ने सप्लीमन्ट पेश किया है जो मैलान है।
 कर्माधीन की ओर से जवाबदावा पेश किया
 है जो मैलान है। सप्लीमन्ट एवं जवाबदावा में
 नेमीचन्ड पुत्र पुनाराम के स्थान पर राजेश कुमार साह
 पुत्र पुनाराम किया जाता है जो उरियादीगण को कोई
 काप्टि नहीं है बहर उरियादीगण सप्लीमन्ट की गई है।
 सहर एवं पत्रावली के क्लेक के पश्चात् सराह मैलान
 निरादिश कला पत्रावली विरालि कला के खपत नम्बर
 281, 282, 283, 284, 285, 161, 176, 247 की
 सूचि में दर्ज खातेदार नेमीचन्ड पुत्र पुनाराम के
 स्थान पर नाम राजेश कुमार साह पुत्र पुनाराम
 जति के खातेदार हिसे जति है पत्रावली मैलान
 मुद्राट होना नम्बर के कम है।


 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
 रायपुर (ध्यावर)


 07/11/23
 निरीक्षक
 कनिष्ठ अधिकारी
 21/11/23
 I.v.